गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों में मूलभूत सेवाओं के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय आयोग

2670. **श्री शिव चरण सिंह:**
श्री गोविंदराम मिरी:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत न्यूनतम सेवाओं में हुई कमी का अध्ययन करने के लिए कोई उच्च स्तरीय आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित राज्यों के विकास के लिए आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के संबंध में बैकलॉग तथा मूलभूत ढांचे के क्षेत्रों में गैप की गहराई से जांच करने हेतु सरकार ने एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया था।

(ख) आयोग ने 7 मार्च, 1997 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) और (घ) अन्य बातों के साथ-साथ ये सिफारिशें कृषि क्षेत्र, बागवानी तथा प्लांटेशन, मत्स्यपालन एवं पशुपालन, सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण, वन पर्यावरण, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, नागरिक उड्डयन, अन्तर्देशीय जल परिवहन नीति, दूरसंचार, प्रसारण, हाइड्रोकार्बन सेक्टर, कोयला एवं विद्युत, उद्योग, हथकरघा तथा हस्तशिल्प, शहरीकरण एवं विशेष योजना, व्यापार एवं ट्रांजिट, पर्यटन, बैंकिंग एवं वित्त आदि क्षेत्रों में आधारभूत न्यूनतम सेवाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित हैं। एक प्रभावी प्रबोधन संगठन तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता की सिफारिश भी की गई है। सिफारिशों को उचित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्रोसेस किया जाएगा।

दिल्ली में हत्याएं

2671. **श्री राम देव भंडारी:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हर सोलह घंटों में एक हत्या और एक बलात्कार की घटना घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली में हत्या और बलात्कार का मासिक औसत क्या है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) 1996 के दौरान दिल्ली में सूचित किए गए हत्या एवं बलात्कार के मामलों की संख्या क्रमशः 518 और 484 थी। हत्या के मामले में मासिक औसत 43 तथा बलात्कार के मामले 40 बनती है।

(घ) हत्या एवं अपराध सहित, अपराध की रोकथाम करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाये गये कदमों में, अन्य के साथ-साथ शामिल हैं:—

(i) गश्त की मौजूदा बीट प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया गया है। ज्ञात बदमाशों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कोई पुरानी आपराधिक पृष्ठभूमि न होने के कारण पुलिस के जाल से प्रायः बच निकलने वाले अपराधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है।

(ii) खतरनाक अपराधियों के आवागमन के बारे में आसूचना लगातार तैयार की जाती है और इन अपराधियों की धर-पकड़ के लिए छापे मारे जाते हैं। खासतौर से अंधेरी रातों में गश्त बढ़ा दी गई है क्योंकि आपराधिक गिरोहों में ऐसी रातों में ही सक्रिय होने की प्रवृत्ति होती है।

(iii) जेल से रिहा हुए अपराधियों की गतिविधियों तथा उनके द्वारा जीविकोपार्जन के लिए अपनाए जाने वाले साधनों का सत्यापन किया जाता है और उन पर निगरानी रखी जाती है।

(iv) अपने नौकरों का सत्यापन कराने के लिए नागरिकों को सक्रिय करने के लिए नौकरों का पूर्ववृत्त सत्यापन अभियान चलाया गया।

(v) राजधानी की विभिन्न कालोनियों में "पड़ोसी निगरानी योजना" शुरू की गई है। बीट अधिकारी समय-समय पर वृद्ध नागरिकों के पास जाते रहते हैं।